


राजस्थान सरकार  
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन  
2008



जन अभियोग निराकरण विभाग, जयपुर



**राजस्थान सरकार**  
**जन अभियोग निराकरण विभाग**  
**वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**  
**वर्ष-2008**

राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों एवं जन साधारण के परिवादों का राज्य स्तर पर निराकरण करने की दृष्टि से इस विभाग की स्थापना अधिसूचना क्रमांक: प.2(20)जीए/ए/71, दिनांक 26.07.1971 के तहत की गई थी। विभाग के प्रशासनिक मुख्य अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को रखा गया है, जो आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग के पदनाम से जाना जाता है।

**2. जन अभियोग निराकरण के लिए वर्तमान व्यवस्था :-**

विभाग की अधिकारिता सरकारी अधिसूचना संख्या: एफ-2(20)जीए/ए/71, दिनांक 26.07.1971, 24.09.1971 तथा 13.03.1972 द्वारा परिभाषित की गई है जिन के अनुसार निम्नलिखित कार्य प्रमुख हैं:-

1. ऐसे सरकारी कर्मचारियों के स्थायीकरण के मामले जिन्हें 3 वर्ष से अधिक समय से स्थायी नहीं किया हो।
2. पेंशन तथा उपादान (ग्रेच्युटी) के मामले।
3. तीन माह से अधिक समय से वेतन नहीं मिलना।
4. सेवा निवृत्तियों, मूल सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को बीमा की रकम नहीं मिलना।
5. सेवा से निलम्बन के मामले, जहां कि कोई सरकारी कर्मचारी दो वर्ष से अधिक समय से निलम्बित चल रहा हो।

3. राज्य से संबन्धित शिकायतें, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार, राज्यपाल सचिवालय, मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त होने वाली शिकायतें एवं कर्मचारियों/आम जनता से प्राप्त होने वाली शिकायतें इस विभाग में प्राप्त होती हैं साथ ही जन समस्याओं जैसे सफाई, पानी, बिजली की सुविधायें व अतिक्रमण जो जन समस्याओं की

परिधि में आते हैं उनका निस्तारण इस विभाग द्वारा समय पर किया जाता है।

4. शिकायतों के वे मामले जिनमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निपटारे में देरी की गई हो या ऐसे मामलों जिन पर विभागों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया हो, पर भी विचार किया जाता है। दिनांक 09.01.1980 से इस विभाग का कार्यक्षेत्र और अधिक विस्तृत कर दिया गया जिसके अन्तर्गत नगर निगम/परिषद/पालिका (मण्डल) एवं नगर विकास न्यास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, विधवायें, अंगहीन व्यक्तियों तथा राज्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में देरी, बकाया वेतन का भुगतान, यात्रा भत्ता, वार्षिक तरक्की, अमानत राशि की वापसी, चिकित्सा भत्ता, निर्वाह भत्ता, बीमा सम्बन्धी कार्य आदि का निस्तारण परीक्षणों उपरान्त किया जाता है।
5. यह विभाग कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं, पूर्वोद्घाहरणों इत्यादि में परिवर्तन की सिफारिश करने हेतु अधिकृत है जिससे कार्य का निपटारा शीघ्र हो सके या वे अभियोगों के निराकरण में सहायक हो सके। विभिन्न सरकारी ऐजेन्सियों द्वारा किये गये विनिश्चयों में से अभिकथित अनौचित्यके सुस्पष्ट मामलों को भी जन अभियोग निराकरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव के निर्देश पर अथवा जब कभी भी मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री या मुख्य सचिव महोदय द्वारा विशेष रूप से चाहा जाये, ऐसे प्रकरण भी इस विभाग द्वारा देखे जाते हैं।
6. मई 1992 में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त व राज्यपाल महोदय द्वारा आयोजित दरबार में उन्हें प्राप्त सभी शिकायतों का निराकरण करने हेतु उन्हें जन अभियोग निराकरण विभाग में भेजा जाये और वांछित कार्यवाही/शिकायतों का निराकरण कर जनता को राहत पहुंचाई जावे, जिससे राज्य सरकार के प्रति जनता का विश्वास अधिक बढ़े। परिणाम स्वरूप इस विभाग में प्राप्त परिवादों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

7. दिनांक 01.01.2008 से 31.12.2008 की अवधि में विभाग में 13876 परिवाद प्राप्त हुए जिनमें से 327 पत्रों पर पत्रावली खोली जाकर सम्बन्धित शासन सचिवों/विभागाध्यक्षों से प्रतिवेदन मांगे गये तथा शेष पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही की गई। दिनांक 31.12.2007 को विभाग में 264 परिवाद लम्बित थे, उपरोक्त 327 नई खोली गई पत्रावलियों को मिलाकर कुल 591 परिवादों में से प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों में से सम्बन्धित 94 परिवाद, जन साधारण से प्राप्त व्यक्तिगत समस्याओं से सम्बन्धित 13 परिवाद, कर्मचारियों से प्राप्त प्रकरणों से सम्बन्धित 7 परिवाद एवं महामहिम राज्यपाल महोदय एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त प्रकरणों से सम्बन्धित 78 परिवादों का पूर्णरूपेण निस्तारण कराकर बंद कराये गये। जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-। पर उपलब्ध है। दिनांक 31.12.2008 को 399 परिवाद लम्बित रहे।

8. जिला एवं उपखण्ड स्तर पर जन सुनवाई :-

विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक प.4(11) आरपीजी/एएस/एफ/99 दिनांक 15.01.2007 से माननीय मुख्य सचिव महोदय की ओर से सभी संभागीय आयुक्तों/जिला कलेक्टरों/उप खण्ड अधिकारियों को जन सुनवाई कर आम आदमी के परिवादों का त्वरित समाधान करने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये :-

1. जिला कलेक्टरों/अतिरिक्त जिला कलेक्टरों एवं उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रति सप्ताह 2 बार लगभग आधे दिन का समय देकर प्राप्त परिवादों का जन सुनवाई के माध्यम से एक निर्धारित समय सीमा में निपटारा करेंगे। यह कार्य उनके दैनिक रूटीन कार्य के अतिरिक्त होगा।
2. भिन्न-भिन्न प्रकार के परिवादों के लिए एक सुनिश्चित समय सीमा तय की जाये। निर्धारित समय सीमा में परिवाद का निस्तारण न होने की स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

3. प्रतिमाह जिला स्तर पर अन्तिम शुक्रवार तथा उपखण्ड स्तर पर भी प्रतिमाह आयोजित होने वाली सतर्कता समितियों की बैठकें बिना किसी व्यवधान के आयोजित कर लंबित/प्राप्त परिवादों का निस्तारण किया जाए । यदि उस दिन राजकीय अवकाश पड़ता हो तो यह बैठक आगामी कार्य दिवस को आवश्यक रूप से आयोजित की जावें । संभागीय आयुक्त इन सतर्कता समितियों की बैठकों में लिये गये निर्णयों की नियमित क्रियान्विति सुनिश्चित करेंगे । जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा इन बैठकों की समीक्षा पूर्व की भांति की जायेगी ।
9. आलोच्य अवधि में 01.01.2008 से 31.12.2008 तक जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों की 254 बैठकें आयोजित की गईं । इस अवधि में 2401 प्रकरण नये दर्ज किये गये । वर्ष में प्राप्त प्रकरण 2401 व पूर्व के बकाया प्रकरणों 310 कुल 2711 प्रकरणों में से 2229 प्रकरणों का निराकरण कराया गया (परिशिष्ट- 11) ।

-----



राजस्थान सरकार  
जन अभियोग निराकरण विभाग

दिनांक 01.01.08 से दिनांक 31.12.08 तक सम्पादित कार्यों का वार्षिक विवरण

| सेल का नाम                                   | वर्ष के आरम्भ में लम्बित पत्रों की संख्या | वर्ष में प्राप्त पत्रों की संख्या | योग   | वर्ष में निस्तारित किये गये पत्रों/परिवादों की संख्या  |  |  | वर्ष के अन्त में लम्बित पत्रों की संख्या | वर्ष के आरम्भ में लम्बित परिवादों की संख्या | कॉलम 7 व 9 का योग | वर्ष में निस्तारित परिवादों की संख्या | वर्ष समाप्ति पर लम्बित परिवादों की संख्या |
|--|---|-----------------------------------|-------|--|--|--|--|---|-------------------|---------------------------------------|---|
|  |   |                                   |       | मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये पत्रों की संख्या | विभागीय पत्रावलियों पर कार्यवाही किये गये पत्रों की संख्या | पत्रों की संख्या जिन पर नई पत्रावलियां खोली गई |  |   |                   |                                       |   |
| 1  | 2   | 3                                 | 4     | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                | 11                                    | 12  |
| पी.एम सैल                                    | ..  | 353                               | 353   | ..   | 222  | 131  | ..                                       | 86  | 217               | 94                                    | 123                                       |
| पब्लिक सैल                                   | ..  | 800                               | 800   | 214  | 523  | 63   | ..                                       | 32  | 95                | 13                                    | 82  |
| सर्विस सैल                                   | ..  | 572                               | 572   | 147  | 386  | 39   | ..                                       | 27  | 66                | 7                                     | 59  |
| गवर्नर एवं लोक शिकायत प्रकोष्ठ               | ..  | 5488                              | 5488  | 4233   | 1161   | 94   | ..                                       | 119   | 213               | 78                                    | 135                                       |
| राष्ट्रपति कार्यालय एवं मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ | ..  | 4444                              | 4444  | 4444   | ..   | ..   | ..                                       | ..  | ..                | ..                                    | ..  |
| सामान्य प्रकोष्ठ                             | ..  | 2219                              | 2219  | ..   | 2219   | ..   | ..                                       | ..  | ..                | ..                                    | ..  |
| योग  | ..  | 13876                             | 13876 | 9038   | 4511   | 327  | ..                                       | 264   | 591               | 192                                   | 399                                       |

परिशिष्ट – II

जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों द्वारा सम्पादित कार्यों  
का विवरण (01.01.08 से 31.12.08)

| क्र. स. | जिले का नाम  | बैठकों की संख्या | पूर्व बकाया अभियोगों की संख्या | प्राप्त अभियोगों की संख्या | कालम 4 व 5 का योग | निस्तारित अभियोगों की संख्या | शेष अभियोगों की संख्या |
|---------|--------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|
| 1       | 2            | 3                | 4                              | 5                          | 6                 | 7                            | 8                      |
| 1.      | अजमेर        | 7                | 6                              | 39                         | 45                | 30                           | 15                     |
| 2.      | अलवर         | 8                | 7                              | 78                         | 85                | 67                           | 18                     |
| 3.      | बांसवाड़ा    | 10               | 7                              | 90                         | 97                | 89                           | 8                      |
| 4.      | बारा         | 7                | 9                              | 46                         | 55                | 38                           | 17                     |
| 5.      | बाड़मेर      | 7                | 25                             | 38                         | 63                | 48                           | 15                     |
| 6.      | भरतपुर       | 8                | 11                             | 117                        | 128               | 119                          | 9                      |
| 7.      | भीलवाड़ा     | 8                | 2                              | 4                          | 6                 | 4                            | 2                      |
| 8.      | बीकानेर      | 8                | 1                              | 102                        | 103               | 92                           | 11                     |
| 9.      | बूंदी        | 9                | 4                              | 26                         | 30                | 21                           | 9                      |
| 10.     | चित्तौड़गढ़  | 8                | 4                              | 113                        | 117               | 99                           | 18                     |
| 11.     | चूरु         | 7                | 12                             | 73                         | 85                | 72                           | 13                     |
| 12.     | दौसा         | 5                | 1                              | 60                         | 61                | 48                           | 13                     |
| 13.     | धौलपुर       | 7                | 12                             | 66                         | 78                | 61                           | 17                     |
| 14.     | झुंजरपुर     | 8                | 10                             | 34                         | 44                | 37                           | 7                      |
| 15.     | हनुमानगढ़    | 8                | 9                              | 136                        | 145               | 117                          | 28                     |
| 16.     | श्रीगंगानगर  | 9                | 14                             | 113                        | 127               | 116                          | 11                     |
| 17.     | जयपुर        | 6                | 18                             | 67                         | 85                | 65                           | 20                     |
| 18.     | जैसलमेर      | 10               | 9                              | 96                         | 105               | 97                           | 8                      |
| 19.     | झालावाड      | 7                | 6                              | 41                         | 47                | 38                           | 9                      |
| 20.     | जालौर        | 7                | 8                              | 150                        | 158               | 108                          | 50                     |
| 21.     | झुन्झुनू     | 7                | 13                             | 59                         | 72                | 54                           | 18                     |
| 22.     | जोधपुर       | 7                | 12                             | 146                        | 158               | 138                          | 20                     |
| 23.     | कोटा         | 7                | 11                             | 70                         | 81                | 50                           | 31                     |
| 24.     | नागौर        | 10               | 5                              | 43                         | 48                | 45                           | 3                      |
| 25.     | पाली         | 7                | 7                              | 36                         | 43                | 36                           | 7                      |
| 26.     | राजसमन्द     | 9                | 6                              | 64                         | 70                | 63                           | 7                      |
| 27.     | सीकर         | 9                | 35                             | 100                        | 135               | 126                          | 9                      |
| 28.     | सवाई माधोपुर | 7                | 18                             | 190                        | 208               | 165                          | 43                     |
| 29.     | सिरोही       | 9                | 2                              | 59                         | 61                | 59                           | 2                      |
| 30.     | टोंक         | 8                | 9                              | 46                         | 55                | 47                           | 8                      |
| 31.     | उदयपुर       | 8                | 4                              | 39                         | 43                | 37                           | 6                      |
| 32.     | करौली        | 6                | 13                             | 43                         | 56                | 34                           | 22                     |
| 33.     | प्रतापगढ़    | 6                | -                              | 17                         | 17                | 9                            | 8                      |
|         | योग          | 254              | 310                            | 2401                       | 2711              | 2229                         | 482                    |